पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 30 फाल्गुन, 1934 (श0) / 21 मार्च, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	01
(2)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	कुल योग ..	02

जाँच कराना

45. श्री अशोक कुमार सिंह (224)—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि?—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को समिति की सामान्य बैठक हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि समिति की बैठक समाप्त होने के बाद बैठक पंजी में नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियम के विरुद्ध प्रस्ताव बाद में जोड़ दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत का कार्य नियम के विरुद्ध कर रहे हैं तथा गलतियां उजागर न हो इसके चलते नगर पंचायत के सामान्य स्थायी समिति एवं समिति की सामान्य बैठक नहीं करा रहे हैं ;

(4) क्या यह बात सही है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी कर दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से दुकान आवंटन के नाम पर अवैध वसुली करा रहे हैं तथा अवैध तरीके से नया दुकान का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें अनुमंडल के वरीय पदाधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है ;

(5) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित मामले की जाँच विभागीय सचिव से कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने तथा अवैध उगाही मामले को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दंडित करना

46. श्री अवधेश कुमार राय—दिनांक 19 फरवरी, 2013 को स्थानीय समाचार–पत्र दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित शीर्षक "2.27 करोड़ के गेहूँ बर्बाद" की ओर ध्यान देते हुए क्या मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघड़ा अनुमंडल में राज्य खाद्य निगम के द्वारा क्रय किए गए गेहूँ को एफ०सी०आई० द्वारा 18 हजार 520 क्विंटल गेहूँ का उठाव नहीं किये जाने के कारण कीड़ा लगने से गेहूँ बर्बाद हो गया जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ 27 लाख रुपये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गेहूँ को खराब हो जाने के बाद जिला प्रबंधक, खाद्य निगम, बेगूसराय के द्वारा समस्तीपुर के लक्ष्मी व्हीट (गेहूँ) प्राइवेट लिमिटेड को मिलीभगत कर नीलाम कर दिया गया जिसमें से 10 हजार क्विंटल गेहूँ संबंधित एजेंसी द्वारा उठाव किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि समय से गेहूँ के उठाव न होने में एस०एफ०सी० एवं एफ०सी०आई० के लापरवाह अधिकारियों के कारण इतनी बड़ी राजस्व की हानि हुई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 21 मार्च, 2013 (ई०)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 285–डी०टी०पी०–450